

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 30/2019
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00299

अपीलाण्ट :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
श्रीमति उगीया कंवर पुत्री देवीसिंह पत्नी शैतानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी खैरवा, हाल खरोकडा, तहसील रानी, जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली, जिला पाली। 2. महेन्द्रसिंह पुत्र पूनमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी खैरवा, तहसील, जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल वर्मा
रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 की ओर से सरकारी परोकार श्री सुरेन्द्र सिंह
रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह केसरिया

--: निर्णय :-

दिनांक :- 27.02.2024



अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध ग्राम बडेरवास नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 26.12.2001 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा गाँव खैरवा के चक नम्बर 2 में अपीलाण्ट के पिता देवीसिंह की पुश्तैनी जमीन आई हुई है जिसके खसरा संख्या 1934 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा चाही दायम गैर मुमकिन, खसरा संख्या 1935 रकबा 0.8 गैर मुमकिन बेरा व खसरा संख्या 2812 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा चाही दायम कुल खसरान् 3 रकबा 52 बीघा 0.2 बिस्वा में 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट के पिता देवीसिंह का स्थित था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1930 रकबा 89 बीघा 5 बिस्वा बारानी अव्वल गैर मुमकिन व खसरा नम्बर 1938 रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा बारानी अव्वल में अपीलाण्ट के पिता देवीसिंहजी प्रेमसिंहजी का 1/7 हिस्सा था लेकिन कालूसिंह का देहान्त होने से 1/6 हिस्सा अपीलाण्ट के पिता देवीसिंह का था। प्रेमसिंह के कुल 7 लडके थे देवीसिंह, कालूसिंह, पूनमसिंह, गणेशसिंह, प्रतापसिंह, शिवलाल व रामलाल थे परन्तु कालूसिंह जी लाओलाद फौत होने से प्रेमसिंहजी की सम्पति के 6 हिस्से किये गये। देवीसिंहजी की एकमात्र पुत्री उगीया कंवर थी। देवीसिंह के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था न अपने जीवनकाल में किसी पुत्र को गोद ही लिया। देवीसिंह जी का देहान्त के समय देवीसिंह जी के मात्र दो वारिस पुत्री उगीया कंवर व पत्नी चुन्नीकंवर थी परन्तु देवीसिंहजी के देहान्त के बाद फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भरा गया। देवीसिंह जी की पत्नी चुन्नीदेवी का देहान्त हो गया तो एकमात्र देवीसिंह जी की

↓
जिला कलेक्टर, पाली

उत्तराधिकारी वारिस पुत्री उगीया कंवर ही रही परन्तु महेन्द्रसिंह पुत्र पूनमसिंह ने मिलावट करके पूनमसिंह जी का पुत्र होते हुए भी वह देवीसिंह जी का पुत्र बताकर देवीसिंह जी की सम्पूर्ण कृषिभूमि व सम्पत्ति पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके देवीसिंह जी का पुत्र बताकर खसरा नम्बर 1930, 1934, 1935, 1938, 2012 की कृषिभूमि देवीसिंह जी के हिस्से की भूमि खाता संख्या नया 128,230,231 की भूमि का म्यूटेशन महेन्द्रसिंह, पूनमसिंह का जायन्दा पुत्र होते हुए भी देवीसिंह जी का फर्जी तौर पर पुत्र बनकर म्यूटेशन भरवाया है जो विधि अनुसार वारिस नहीं होते हुए भी बतौर वारिस म्यूटेशन भरवाया है जो विधि विरुद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट फरमाई जावे व जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान वकील अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 12.06.2000 को एक सहमति पत्र निष्पादित किया कि मेरे पिताजी देवीसिंह के पुत्र की हैसियत से रेस्पोडेण्ट महेन्द्रसिंह गोद पुत्र की हैसियत से काबिज रहेंगे इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट व स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान लिये गये जिससे पूर्ण स्पष्ट होता है कि जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा आधारहीन अपील प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हसब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ-पत्र के निर्णय में उचित समझते हैं कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपील विलम्बित होने का कथन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट का देवीसिंह की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तदनुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम-दृष्ट्या विधि विरुद्ध है जिससे प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रकरण में देखने रिकर्ड एवं श्रवणशुदा बहस के आधार पर अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 ने यह कथन नहीं किया कि अपीलाण्ट मृतक देवीसिंह की पुत्री नहीं है। दौराने बहस वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा महेन्द्र सिंह को मृतक देवीसिंह का गोदपुत्र होना अवगत कराया है परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य रिकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक की सम्पत्ति में पुत्री का हक भी होता है जिससे जैर नामान्तरकरण प्रथम-दृष्ट्या विधि विरुद्ध है। मृतक देवीसिंह के रेस्पो. संख्या 02 महेन्द्रसिंह विधिक अथवा किस प्रकार से पुत्र है यह भी जांच का विषय है। स्पष्टतया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 26.12.2001 विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते हैं कि प्रकरण में मृत देवीसिंह के विधिक वारिसान की उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकर्ड लौटाया




↓
जिला कलेक्टर, पाली

3 | रा.अ. 30/2019 "उगीया कर्कर. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली "



जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल.एन. मंत्री)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली